संख्या:46/2021/1258जेएल/22-3-2021-800(58)/2012

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी ,
जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 07 सितम्बर 2021*

विषय- केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी-ग्राम-पिरौटा, थाना-एन0टी0पी0सी0, खैरा (नवी नगर) जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य को पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) स्वीकृत किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-95-मु0/विधि0, दिनांक 21-01-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973(1974 का एक्ट संख्या-2) की धारा-432 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी-ग्राम-पिरौटा, थाना-एन0टी0पी0सी0, खैरा (नवी नगर) जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य को पत्नी के उपचार हेतु एक माह के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शांति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आपकी संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बंदी के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाय तथा बंदी का जेल आचरण संतोषजनक हो । पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि को बंदी द्वारा काटी गयी सजा में नहीं जोड़ा जायेगा।

2- यदि बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बंदी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय। बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में अपने निवास स्थान के थाना में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बंदी को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को जेल में वापस नहीं आता है तो उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगा।

4- यह आदेश जारी होने के दिनांक से छः माह तक मान्य होंगे।

5- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:46/2021/1258जेएल(1)/22-3-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार राज्य ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बंदी के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बंदी के जेल में हाजिर होने की तिथि, शासन तथा महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in